

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री मिथ्यलेश कुमार पिता- श्री बालेश्वर साव, ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 72, प्लॉट सं. 540, 541, 2182, 828, 1038/2624, खाता सं. 146 प्लॉट सं. 1146, खाता सं. 79. प्लॉट सं. 487 एवं 1639 कुल रकवा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 72, प्लॉट सं. 540, 541, 2182, 828, 1038/2624, खाता सं. 146 प्लॉट सं. 1146, एवं खाता सं. 79. प्लॉट सं. 487 एवं 1639, कुल रकवा - 02.00 एकड़ भूमि के तहत श्री मिथ्यलेश कुमार पिता- बालेश्वर साव, ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

विश्वामित्र  
०२१०८/२०२२